कार्यालय : जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग अक्षर ऑचल योजना अन्तर्गत जन शिक्षा निदेशालय बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन शिक्षा विभाग, गोपालगंज साक्षरता संभाग अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर जिले के निम्नांकित प्रखंडो के लक्ष्य समूह के संख्या बाहुल्य चिह्नित टोलो में शिक्षा सेवक (टोला सेवक) एवं शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) का रिक्ति के विरूद्व चयन करना है, जो निम्न प्रकार है :–

कमांक	प्रखंड का नाम	रिक्तियों का संख्या		
		शिक्षा सेवक (टोला सेवक)	शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज)	योग
1	गोपालगंज	0	02	02
2	थावे	1	07	08
3	माझा	0	10	10
4	बरौली	0	18	18
5	सिधवलिया	1	06	07
6	बैकुंठपुर	0	07	07
7	कुचायकोट	0	07	07
8	हथुआ	0	15	15
9	उचकागॉव	0	04	04
10	फुलवरिया	0	02	02
11	भोरे	0	03	03
12	विजयीपुर	0	01	01
13	कटेया	0	03	03
14	पंचदेवरी	0	05	05
	कुल योग	2	90	92

आवेदकों की आवश्यक योग्यता एवं अहर्त्ता:

1. आवेदक की न्युनत्तम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यता धारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी।

2. साक्षरता, शिक्षा या सरकार की किसी योजना मे कम से कम छः माह या उससे अधिक समय तक काम करने पर एवं मानदेय/वेतन /प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर सूची में अनुभव के अतिरिक्त अंक इस प्रकार दिये जाएगें–

(क) 6 माह से 1 वर्ष कार्य करने वाले के लिए 5 अंक।

(ख) 1 वर्ष से अधिक के लिए 10 अंक।

(ग) अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोडकर मेधा सुची तैयार की जायेगी। गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिए एवं जिन कार्यो में मानदेय/वेतन/प्रबोधन भुगतान की प्रमाण नहीं होगा, अनुभव अंक देय नहीं होगा।

3. आवेदक की आयु न्युनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना 1ली अगस्त 2019 को आधार मानकर की जायेगी।

Sd/-

4. आवेदक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग परिवार से होगा। चिन्हित टोले में जिस महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

5. उपरोक्त लिखित जिस समूह में रिक्ति होगी उसी समूह से चयन द्वारा भरा जायेगा।

6. जिस टोला से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालिमी मरकज का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन किया जायेगा।

7. आवेदन पत्र रिक्ति वाले टोले के पोषक विद्यालय के संयोजक–सह–प्रधानाध्यापक के पास 1.10.2019 से 21.10.2019 अपराहन 4:00 बजे तक हाथो हाथ जमा किये जायेगें।

8. आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड एवं योग्यता/अहर्ता सम्बंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति लगाना आवश्यक होगा।

आरक्षणः– विज्ञापित पदों में उक्त समुदाय के कुल निर्धारित स्वीकृत बल की रिक्ति के विरूद्व स्थान (सर्वेक्षित बाहुल्य टोला) एवं संख्या 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता, गोपालगंज।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
गोपालगंज।